

सतत कृषि के लिये सस्य आवर्तन

प्रलिस के लिये:

सस्य आवर्तन, [टपक/डरपि सचिई प्रणाली](#), सधु-गंगा कषेत्र, कदनन

मेन्स के लिये:

खेती के प्रकार, फसल पैटर्न का अर्थव्यवस्था में योगदान, रोजगार और उत्पादन, खाद्य सुरक्षा

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, डेलावेयर विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और येल स्कूल ऑफ द एन्वायरनमेंट के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा कृषि क्षेत्र के संबंध में एक शोध किया गया, जिसने [2022 2022 2022](#) में प्रकाशित किया गया है।

- यह अध्ययन भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों, विशेष रूप से [इंडो-गंगेटिक क्षेत्र में जल की खपत](#) तथा [सतत कृषि](#) पर केंद्रित है।
- यह अध्ययन भारत में ऊपरी, मध्य और नचिली [गंगा](#) बेसिन/क्षेत्र को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के 124 जिलों पर केंद्रित था।

अध्ययन के प्रमुख बडि:

- **सस्य आवर्तन के माध्यम से जल संरक्षण:**
 - [खरीफ सीजन](#) के दौरान चावल के स्थान पर कदनन और ज्वार की खेती तथा [रबी सीजन में गेहूँ](#) के बजाय [ज्वार](#) की खेती करने से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जल की खपत को 32% तक कम किया जा सकता है। साथ ही किसानों के मुनाफे को 140% तक बढ़ाया जा सकता है।
- **जल संरक्षण के अतिरिक्त लाभ:**
 - सस्य आवर्तन (Crop Switching) से [खरीफ सीजन में 55%](#) और [रबी सीजन में 9%](#) तक जल की बचत की जा सकती है।
 - किसानों के मुनाफे में [खरीफ सीजन के दौरान 139%](#) और [रबी सीजन के दौरान 152%](#) तक की वृद्धि की जा सकती है।
 - कैलोरी उत्पादन 39% तक बढ़ सकता है।
- **सस्य आवर्तन बनाम टपक/डरपि सचिई प्रणाली:**
 - शोधकर्ताओं ने सचिई दक्षता में सुधार के साथ सस्य आवर्तन के लाभों की तुलना की और पाया कि [भूजल की कमी की समस्या](#) के नशिकरण और ऊर्जा बचत में वृद्धि करने के संदर्भ में सस्य आवर्तन का प्रदर्शन [टपक/डरपि सचिई प्रणाली से बेहतर](#) है।
 - [डरपि सचिई से शुद्ध भूजल पुनर्भरण में 34%](#) सुधार होता है, जबकि [सस्य आवर्तन से 41%](#)।
 - अकेले डरपि सचिई प्रणाली के उपयोग से किसान के मुनाफे में काफी वृद्धि नहीं होती।
 - [सस्य आवर्तन और डरपि सचिई प्रणाली के संयुक्त प्रयोग](#) से ज़िला स्तर पर शुद्ध पुनर्भरण दर में सबसे अधिक सुधार किया जा सकता है और यह भूजल की कमी की [समस्या को 78% तक कम कर सकता है](#)।
- **बहुउद्देशीय दृष्टिकोण:**
 - जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि के बीच संतुलन स्थापति करने के लिये एक बहुउद्देशीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
 - [एकल-केंद्रित दृष्टिकोण](#) की कुछ सीमाएँ व शर्तें होती हैं। उदाहरण के लिये अकेले जल संरक्षण को प्राथमिकता देने से बचत में 4% की वृद्धि की जा सकती है, कति इससे अन्य कई चीज़ों में कमी आती है; सुझाए गए वकिल्पों की तुलना में [कैलोरी उत्पादन में 23% और लाभ में 126% की गिरावट आती है](#)।
 - इसी प्रकार सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने का दृष्टिकोण जल की बचत में थोड़ी वृद्धि तो कर सकता है कति कैलोरी उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित भी कर सकता है।
 - [उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य और खेती में कम लागत](#) के कारण सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाले फसल- ज्वार की खेती करके लाभ में 58% तक की वृद्धि की जा सकती है। इस लाभ के साथ कुछ सीमाएँ भी हैं: जैसे कैलोरी उत्पादन में उल्लेखनीय 18.5%

की कमी, जल की बचत में मामूली 2% की वृद्धि।

■ बेहतर पोषण के लिये पोषक अनाज:

- ज्वार और बाजरा जैसे पोषक अनाजों की खेती से बेहतर पोषण प्राप्त होता है।
- पोषक अनाजों की खेती से **प्रोटीन उत्पादन में 46% की वृद्धि**, लौह उत्पादन में 353% की वृद्धि और जस्ता उत्पादन में 82% की वृद्धि हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को पोषण लाभ होगा।

कदन्न (MILLETS)

कदन्न/ मिलेट्स/ मोटा अनाज:

- छोटे-बीज वाली फसलों को मिलेट्स के रूप में जाना जाता है
- अक्सर इन्हें 'सुपरफूड' के रूप में भी जाना जाता है
- इन अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये भोजन के लिये उगाए गए पहले पौधों में से थे।

जलवायु संबंधी स्थिति:

- भारत में मुख्य रूप से खरीफ की फसल
- तापमान: 27°C-32°C
- वर्षा: लगभग 50-100 सेमी
- मिट्टी का प्रकार: अवर जलोढ़ या दोमट मिट्टी

भारत और कदन्न:

- विश्व का सबसे बड़ा कदन्न उत्पादक:
 - वैश्विक उत्पादन का 20%, एशिया के उत्पादन का 80%
- सामान्य कदन्न:
 - रागी (Finger millet), ज्वार (Sorghum), सम्रा (Little millet), बाजरा (Pearl millet), और चेना (Punjab) (Proso millet)
 - स्वदेशी किस्में (छोटे बाजरा)-कोदो, कुटकी, चेना और सौंवा
- शीर्ष कदन्न उत्पादक राज्य:
 - राजस्थान > कर्नाटक > महाराष्ट्र > मध्य प्रदेश > उत्तर प्रदेश
- सरकार की पहलें:
 - 'गहन कदन्न संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' (INSIMP)
 - इंडियाज वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ
 - मिलेट्स स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज
 - कदन्न के लिये एमएसपी में वृद्धि
 - कृषि मंत्रालय ने 2018 में कदन्न को "पोषक अनाज" के रूप में घोषित किया



अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष वर्ष 2023

भारत द्वारा प्रस्तावित, UNGA द्वारा घोषित

MILLET MAP OF INDIA



महत्त्व

- कम महंगा, पोषण की दृष्टि से बेहतर
- उच्च प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा, कैल्शियम और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
- जीवनशैली की समस्याओं और स्वास्थ्य (मोटापा, मधुमेह आदि) से निपटने में मददगार
- फोटो-असंवेदनशील, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला, जल गहन

//

उत्तर भारतीय मैदान:

■ परिचय:

- वे हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थिति बड़े समतल भूभाग हैं।
- इनका निर्माण तीन प्रमुख नदी प्रणालियों- सधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की सहायता से हुआ है।
 - ये वशिव के सबसे बड़े जलोढ़ क्षेत्र हैं।

■ भौगोलिक वविरण:

- इंडो-गंगोटिक क्षेत्र (गंगा मैदानी क्षेत्र) में ग्रीष्मकाल और शीतऋतु के साथ **उपोष्णकटिबंधीय जलवायु** पाई जाती है।
- उत्तरी मैदानों को जलोढ़ की प्रकृति और भौगोलिक आकृतियों की विविधता (उच्चावच) के आधार पर चार भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है।

● भाबर:

- यह हिमालय की तलहटी में बजरी और कंकड़ों का एक संकीर्ण मेखला है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किमी. है तथा इसके छदिरपूर्ण सतह से जल रसिता रहता है।

● तराई:

- यह भाबर के दक्षिण में स्थिति एक दलदली क्षेत्र है। यह लगभग 20 से 30 किमी. चौड़ा है और यहाँ की मृदा समृद्ध तथा वनस्पत घनी है। यहाँ कई वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं।

● बांगर:

- इस क्षेत्र की मृदा में काफी मात्रा में चूना पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है।
- यह **पुराना और ऊँचा जलोढ़ मैदान** है जो नदियों के बाढ़ स्तर से ऊपर स्थिति है। यह मृदा, गाद और रेत से बना है।

● खादर:

- यह नदी के किनारे स्थिति नवीन और नचिला जलोढ़ मैदान है। यह महीन गाद और मृदा से बना है। इसका रंग हल्का होता

है तथा यह बहुत उपजाऊ होता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गए मृदा और जल से इसका नवीकरण होता रहता है।

■ **कृषीय महत्त्व:**

- गंगा का मैदानी क्षेत्र भारतीय कृषि में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, **यह देश के कुल खाद्य उत्पादन में 30% का योगदान देता है।**
- यह भोजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिसमें चावल और गेहूँ जैसे मुख्य अनाज शामिल हैं।

■ **जनसांख्यिकीय महत्त्व:**

- अनुमानित **400 मिलियन निवासियों** के साथ यह क्षेत्र विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व असाधारण रूप से अधिक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. गहन बाजरा संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इस पहल का उद्देश्य उचित उत्पादन और कटाई के बाद की तकनीकों का प्रदर्शन करना तथा मूल्यवर्द्धन तकनीकों को समेकित तरीके से क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ प्रदर्शित करना है।
2. इस योजना में गरीब, छोटे, सीमांत और आदिवासी किसानों की बड़ी हस्तिसेदारी है।
3. इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषक तत्वों और सूक्ष्म संचाई उपकरणों के आवश्यक आदानों की निशुल्क कटि देकर बाजरा की खेती में स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

दल-बदल वरिधी कानून

प्रलिमिंस के लिये:

दल-बदल वरिधी कानून, सर्वोच्च न्यायालय (SC), संविधान की दसवीं अनुसूची, संसद सदस्य, 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985, 91वाँ संविधानिक संशोधन अधिनियम, 2003

मेन्स के लिये:

दल-बदल वरिधी कानून, वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय, विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, संशोधन

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री और अन्य वधायकों के वरिद्ध दल-बदल वरिधी प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिये महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को फटकार लगाई।

- न्यायालय ने **अयोग्यता की कार्यवाही की प्रगत में कमी** पर असंतोष व्यक्त किया और अध्यक्ष से दो महीने के अंदर नरिणय लेने का आग्रह किया।
- इससे पहले न्यायालय ने स्पीकर को **संविधान की दसवीं अनुसूची** के तहत अयोग्यता की कार्यवाही को पूरा करने के लिये एक समय-सीमा तय करने

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गरिा दिया गया और उसकी जगह दूसरी सरकार का गठन हुआ , जिसमें शविसेना का एक गुट शामिल था । शविसेना से अलग हुए गुट के नेता एकनाथ शदि महाराष्ट्र के नए मुखयमंत्री बने ।
- इसके बाद ठाकरे समूह द्वारा महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के इस्तीफे से पूर्व वशिवास परस्ताव के नरिणय को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर की गई ।
- अयोग्यता की स्थितिमें न केवल शविसेना वधायकों पर बल्कमुख्यमंत्री के रूप में शदि के पद पर भी इसका असर पड़ेगा ।

दल-बदल वरिधी कानून:

■ परचिय:

- दल-बदल वरिधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों (सांसदों)/वधिनसभा सदस्यों (वधायकों) को दंडति करता है ।
- वधायकों को दल बदलने से हतोत्साहति करके सरकारों में स्थरिता लाने के लयि संसद ने वर्ष 1985 में इसे संवधिन कीदसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा ।
 - दसवीं अनुसूची - जसि दल-बदल वरिधी अधनियम के नाम से जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधनियम, 1985 के माध्यम से संवधिन में शामिल कया गया था ।
- यह कसिी अन्य राजनीतिक दल में दल-बदल के आधार पर नरिवाचति सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान नरिधारति करता है ।
 - यह वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद पार्टी छोड़ने वाले वधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गरिने की प्रतकिरया थी ।

■ इसके तहत सांसद/वधायकों को दंडति नहीं कया जाता:

- हालाँकि, यह सांसदों/वधायकों को दल-बदल के लयि दंड के बनिा कसिी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने (वलयि) की अनुमतदिता है । साथ ही दल-बदल करने वाले सांसदों का समर्थन या उन्हें स्वीकार करने के लयि राजनीतिक दलों को दंडति नहीं कया जाता है ।
 - वर्ष 1985 के अधनियम के अनुसार, कसिी राजनीतिक दल के एक-तहिाई नरिवाचति सदस्यों द्वारा 'दल-बदल' को 'वलयि' माना जाता था ।
 - लेकनि 91वें संवधनिकि संशोधन अधनियम, 2003 द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया और अब कानून की नज़र में वैधता के लयि कसिी पार्टी के कम-से-कम दो-तहिाई सदस्यों को "वलयि" के पक्ष में होना अनवार्य है ।
- कानून के तहत अयोग्य घोषति सदस्य कसिी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लयि चुनाव लड़ सकता है ।
- दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधति मामलों पर नरिणय ऐसे सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को प्रेषति कया जाता है, यह प्रक्रया 'न्यायकि समीक्षा' के अधीन है ।
 - हालाँकि कानून ऐसी कोई समय-सीमा नहीं नरिधारति करता है जसिके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामले का फैसला करना अनवार्य होता है ।

■ दल-बदल का आधार:

- सवैच्छकि त्याग: यदिकोई नरिवाचति सदस्य सवैच्छा से कसिी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना चाहता है ।
- नरिदेशों का उल्लंघन: यदिकोई नरिवाचति सदस्य अपने राजनीतिक दल अथवा ऐसा करने के लयि अधिकृति कसिी भी वयक्तद्वारा पूर्व अनुमदन के बनिा जारी कयि गए कसिी आदेश के वपिरीत ऐसे सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थति रहता है ।
- नरिवाचति सदस्य: यदिकोई स्वतंत्र रूप से नरिवाचति सदस्य कसिी राजनीतिक दल में शामिल होता है ।
- मनोनीत सदस्य: यदिकोई नामांकति सदस्य छह महीने की समाप्ति के बाद कसिी राजनीतिक दल में शामिल होता है ।

दलबदल का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव:

■ चुनावी जनादेश का उल्लंघन:

- जो वधायक एक पार्टी के लयि चुने जाते हैं और फरि मंत्री पद या वत्तितीय लाभ के प्रलोभन के कारण दूसरी पार्टी में जाना अधिकि सुवधायनक समझते हैं तथा पार्टी बदल लेते हैं, इसे दल-बदल के रूप में जाना जाता है, यह चुनावी जनादेश का उल्लंघन माना जाता है ।

■ सरकार के सामान्य कामकाज़ पर प्रभाव:

- कुख्यात "आया राम, गया राम" नारा 1960 के दशक में वधायकों द्वारा लगातार दल-बदल की पृष्ठभूमि में गढ़ा गया था ।
- दल-बदल के कारण सरकार में अस्थरिता की स्थति उत्पन्न होती है और प्रशासन प्रभावति होता है ।

■ हॉर्स ट्रेडिगि को बढ़ावा:

- दल-बदल वधायकों की खरीद-फरोख्त/हॉर्स ट्रेडिगि को बढ़ावा देता है जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खिलाफ है ।

दल-बदल वरिधी कानून की चुनौतियाँ:

■ कानून का पैराग्राफ 4:

- दल-बदल वरिधी कानून के पैराग्राफ 4 में कहा गया हैकि यदिकोई राजनीतिक दल कसिी अन्य दल में वलयि करता है, तो उसके सदस्य अपनी सीटें नहीं खोएंगे ।
 - लेकनि इस वलयि के लयि सदन में उस पार्टी के पासकम-से-कम दो-तहिाई सदस्यों का समर्थन होना ज़रूरी है । कानून यह

नहीं बताता कविलिय करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आधार है या नहीं।

■ **प्रतनिधि एवं संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करना:**

- कानून बनने के बाद सांसद या वधायक को पार्टी के नरिदेशों का आँख मूंदकर पालन करना पडता है और उन्हें अपने नरिणय से वोट देने की आज़ादी नहीं होती है।
- दल-बदल वरिधी कानून ने वधायकों को मुख्य रूप से उनके राजनीतिक दल के प्रतजिमिमेदार ठहराकर जवाबदेही की शृंखला को बाधति कर दिया है।

■ **अध्यक्ष की वविदास्पद भूमिका:**

- दल-बदल वरिधी मामलों में सदन के सभापतिया अध्यक्ष के नरिणय की समय-सीमा से संबंधति कानून में कोई स्पष्टता नहीं है।
- कुछ मामलों में छह महीने और कुछ में तीन वर्ष भी लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी हैं जो अवधिसमाप्त होने के बाद नपिटाए जाते हैं।

■ **वभाजन की कोई मान्यता नहीं:**

- **91वें संवधानिक संशोधन अधनियम 2004** के कारण दल-बदल वरिधी कानून ने दल-बदल वरिधी शासन को एक अपवाद बनाया।
 - हालाँकि यह संशोधन किसी पार्टी में 'वभाजन' को मान्यता नहीं देता है बल्कि इसके बजाय 'वलिय' को मान्यता देता है।

■ **केवल सामूहिक दल-बदल की अनुमतति:**

- यह **सामूहिक दल-बदल** (एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परविरतन) की अनुमतति देता है लेकिन वयक्तगित दल-बदल (बारी-बारी से या एक-एक करके सदस्यों द्वारा दल परविरतन) की अनुमतति नहीं देता। अतः इसमें नहिति खामियों को दूर करने के लयि संशोधन की आवश्यकता है।
- उन्होंने चतिता जताई कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोडता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधिके दौरान उसे नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहयि।

■ **बहस एवं चर्चा पर प्रभाव:**

- **बहस और चर्चा को बढावा देने के बजाय** भारत के दल-बदल वरिधी कानून ने पार्टियों और आँकड़ों पर आधारति लोकतंत्र का नरिमाण कयिा है।
- इससे संसद में किसी भी कानून पर होने वाली बहस कमजोर हो जाती है तथअसहमतति (Dissent) एवं दलबदल (Defection) के बीच अंतर नहीं रह जाता।

आगे की राह:

- कई वरिषज्जों ने सुझाव दिया है कि कानून केवल उन वोटों के लयि मान्य होना चाहयि जो सरकार की स्थरिता का नरिधारण करते हैं। उदाहरणतः वार्षिक बजट का अनुमोदन अथवा अवशिवास प्रस्ताव पारति होना।
- **राष्ट्रीय संवधान प्रकार्य समीक्षा आयोग (NCRWC)** सहति वभिन्न आयोगों ने सफिरशि की है कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषति करने का नरिणय पीठासीन अधकिारी के बजाय राष्ट्रपति (सांसदों के मामले में) अथवा राज्यपाल (वधायकों के मामले में) द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर कयिा जाना चाहयि।
- होलोहन के फैसले में न्यायमूर्त विरमा ने कहा कि अध्यक्ष का कार्यकाल सदन में बहुमत के नरितर समर्थन पर नरिभर है और इसलयि वह ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधकिरण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
- होलोहन के फैसले में न्यायमूर्त विरमा ने कहा कि अध्यक्ष ऐसे स्वतंत्र न्यायिक प्राधकिरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल सदन में बहुमत के नरितर समर्थन पर नरिभर है।

UPSC सवलिल सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के संवधान की नमिनलखिति अनुसूचियों में से किसमें दल-बदल वरिधी प्रावधान है? (2014)

- (a) दूसरी अनुसूची
- (b) पाँचवी अनुसूची
- (c) आठवी अनुसूची
- (d) दसवी अनुसूची

उत्तर: (d)

?????????:

प्रश्न. कुछ वर्षों से सांसदों की वयक्तगित भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतगित मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मलिति। दल परविरतन वरिधी कानून, जो भन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लयि उत्तरदायी माना जा सकता है? (2013)

प्रश्न. 'एकदा स्पीकर, सर्वदा स्पीकर'! क्या आपके वचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की नषिपक्षता के लयि इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहयि? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लयि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/21-10-2023/print>

